न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी—डॉ एस.पी.सिंह (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या— 286/2016

बउनवान

पृथ्वीराज नागर पुत्र श्री प्रेमनारायण धाकड निवासी ग्राम बामला
तहसील—बारां, जिला—बारां (अपीलांट)

Web Copy Not Official

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :—1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक— 11.01.2018

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 17.11.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा—75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम—बामला, तहसील—बारां की आराजी खसरा नम्बर 1565 रकबा 0.40 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 240/—रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का सहीं प्रकार अवलोकन नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वितीय अतिचारी बाबत कोई रेकार्ड प्रस्तुत नहीं किया है। अनुपस्थिति में निर्णय फरमाया गया है। अपीलांट को जवाबदेहीं, साक्ष्य व जिरह करने का कोई अवसर नहीं मिला है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं और ना हीं उक्त प्रकरण में उसे विधिवत तामील हुई है। केवल मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर सजायाब किया गया है जो निरस्त योग्य है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का का निर्णय दिनांक 17.11.2014 निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट को बहस हेतु कई बार रूक रूक कर आवाज दिलवायी गयी। किन्तु अभिभाषक बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहे है। तदुपरान्त पत्रावली में गुणावगुण पर पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

बहस के दौरान पेरोकार सरकार का कथन है कि अपीलांट द्वारा विवादित आराजी ख0नं0 1565 रकबा 0.40 है0 ग्राम बामला पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है जो हल्का पटवारी की रिपोर्ट से प्रमाणित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

अतिक्रमण की रिपोर्ट पर अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी कर, सुनवाई का सुनवाई अवसर प्रदान कर, अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्मी पाये जाने पर, बेदखली व सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में मिसल नम्बर 668/14 निर्णय दिनांक 18.3.2014 से बेदखल किया जाना भी प्रमाणित है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट उक्त आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्मी है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई त्रुटि नहीं है। अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

हमने विद्वान पेरोकार सरकार की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलांट अभिभाषक बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे है। पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्मी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर अतिक्मण करने पर मिसल नम्बर 668/14 निर्णय दिनांक 18.3.2014 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्मी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहींन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 825/14 में पारित आदेश दिनांक 17.11.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11.01.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0एस.पी.सिंह)
जिला कलक्टर,बारां
जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलक्टर